शोध मंथन Vol. XV No.IV Oct.- Dec. 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.877 (SJIF)

महिला कानून और लिंग भेदभाव का कानूनी विश्लेषण

प्राप्तिः 28.11.2024
स्वीकृतः 26.12.2024

95

सुशील पुरोहित
शोधार्थी
हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी,
देहरादून, उत्तराखंड
ईमेलः *sushilpurohitt1@gmail.com*

सारांश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 'जीवन' शब्द का अर्थ पशुओं का जीवन नहीं है, अपितु इसका अर्थ मनुष्य का जीवन है, तथा इसका केवल भौतिक अस्तित्व ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक अस्तित्व भी है। जीवन का अधिकार केवल शरीर के अंगों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें पूर्ण सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है जो मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। यह भी माना जाता है कि महिला कभी भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए कदम नहीं उठाती, जिससे अंततः मामले में पुरुष के हित प्रभावित होते हैं। यदि किसी मामले में पति और पत्नी दोनों की ओर से साक्ष्यों और गवाहों का अभाव है, तो महिला के प्रति न्यायालय का नरम रवैया पुरुष के लिए समस्या उत्पन्न करता है। कानून को मामले के समाधान के लिए दोनों पक्षों के लिए गंभीरता से व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा पुरुषों को यह भूलना पड़ेगा कि उन्हें भी इस देश में पूर्ण सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाएँ अपने हितों की रक्षा के लिए दिए गए कानूनों का गलत तरीके से दुरुपयोग कर रही हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह, पति या पत्नी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, इस आधार पर तलाक के आदेश द्वारा भंग किया जा सकता है कि विवाह संपन्न होने के बाद दूसरे पक्ष ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। ''क्रूरता'' शब्द एक गतिशील शब्द है, जो समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। यही कारण है कि हमारी संसद ने किसी भी अधिनियम में क्रूरता की सटीक परिभाषा नहीं दी है। इसलिए, किसी विशेष मामले में क्रूरता के अर्थ की व्याख्या करना हमारे न्यायिक अधिकारियों पर निर्भर करता है। विभिन्न निर्णयों में कई न्यायाधीशों ने क्रूरता को परिभाषित किया है, लेकिन यह ''क्रूरता''' शब्द का अनन्य अर्थ नहीं है। यह सब व्यक्तिगत रूप से मामले के प्रत्येक तथ्य पर निर्भर करता है।

c आज की शिक्षित महिला को समानता के मंत्र से सहमत होना चाहिए और उसी की मांग करनी चाहिए, लेकिन यह प्रवृत्ति धीरे–धीरे उलट रही है। महिलाएं इस तथ्य का उचित लाभ उठा

रही हैं कि उन्हें 'कमजोर लिंग' कहा जाता है और उन्हें दिए गए अधिकारों की नींव पर वे दूसरों (पुरुषों) के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। वर्तमान प्रकाशन उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के ढांचे से संबंधित है जो महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ कानूनों के दुरुपयोग को अपराध मानते हैं, जिसमें भारत में समकालीन कानूनों और महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ राज्यों द्वारा उठाए गए कानूनी उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आधुनिक युग में महिलाएं अपने अहंकार के कारण कई बार पुरुषों के अधिकारों का हनन कर देती हैं। कई बार तो महिलाएं खुद भी जानती हैं कि वे गलत कर रही हैं, फिर भी वे पुरुषों के अधिकारों का हनन करने और उन्हें परेशान करने के रास्ते पर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उनका अहंकार बीच में आ जाता है। इस दौड़ में सबसे बड़ा शिकार पुरुष ही होता है। पुरुषों को उसे काम के लिए कोर्ट या सेमी–कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ता है, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं और जिसकी उनसे कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पुरुषों को कानूनी कार्यवाही के दौरान तब तक बदनाम होना पड़ता है, जब तक कि फैसला उनके पक्ष में न आ जाए। पुरुषों को अपना कीमती समय, अपने बचाव की तैयारी करने में, सबूत जुटाने में, गवाहों को खोजने में, यहाँ तक कि अपनी नौकरी छोड़ने में भी लगाना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पुरुषों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोर्ट के सामने ही किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें जबरन एक काल्पनिक मामले में फंसाया जा रहा है।

महिलाओं के हाथों को सशक्त बनाने और उनकी स्थिति को उन्नत करने के लिए हमारी संसद ने दंड प्रावधानों में संशोधन किया है। कई धाराओं में संशोधन किया गया है और कई नई धाराएँ भी जोड़ी गई हैं, ताकि कानून को यह महसूस न हो कि महिलाओं पर होने वाली क्रूरता से निपटने के लिए उसके हाथ अपर्याप्त हैं। उन धाराओं में से एक धारा 498A है, जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 में जोड़ा गया है। यह धारा विशेष रूप से विवाहित महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाह के सात साल के भीतर दहेज की मांग को लेकर की गई क्रूरता की स्थिति से निपटने के लिए जोड़ी गई थी। इस धारा के जुड़ने के बाद महिलाओं ने चैन और सुरक्षा की सांस ली। उन्हें ऐसी हिंसा और उत्पीड़न के बारे में कानून मिला, जिसकी वे शिकार थीं। वह कानून उन महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने ऐसी हिंसा और उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। ऐतिहासिक रूप से, क्रूरता की विशेष स्थिति के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसमें किसी महिला के साथ किए गए गलत काम के लिए पति या उसके किसी भी शामिल रिश्तेदार को दंडित किया जा सकता है। इस धारा में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता शामिल है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहलुओं पर कानून, नीतियाँ और परियोजनाएँ बनाई हैं। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई सम्मेलनों और कई मानवाधिकार उपकरणों का पालन कर रहा है, जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों को प्रोत्साहित करते हैं। राज्यों के पास ऐसी शक्ति है जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक नुकसान को बेअसर कर सकते हैं। मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न राष्ट्र इस दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि महिलाओं को जल्द ही वह सम्मान मिल सके, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया भर में महिलाओं के उत्थान के लिए अब तक 50 से अधिक संधियाँ, सम्मेलन, अनुबंध, घोषणापत्र, चार्टर आदि बनाए जा चुके हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से लगभग सभी पहलुओं को कवर किया गया है, लेकिन लक्ष्य अभी भी हासिल नहीं हुआ है। ये दस्तावेज हस्ताक्षरकर्ता देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय चरित्र की समस्याओं को हल करने और जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक–दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए एकजुट करते हैं।

लैंगिक समानता

महिलाओं को विकसित होने और खुद को इंसान के तौर पर अभिव्यक्त करने में मदद की जानी चाहिए। लैंगिक समानता होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई महिला के उत्पीड़न के ''खिलाफ'' है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह पुरुषों को दंडित करने के ''पक्ष'' में है, उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिए बिना। यह किसी भी लिंग के लिए बहुत ज्यादा शक्ति है। यहाँ भूमिकाओं को उलट दें। अगर कोई महिला किसी पुरुष को रोकती है और उसे अपने साथ एक कप कॉफी पीने के लिए कहती है, और वह उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस वाले, दोस्त, दूसरे पुरुष और उसके अपने दोस्त और परिवार वाले उसका मजाक उड़ाएँगे। उसे पागल समझा जाएगा। बस एक मिनट के लिए उस पर विचार करें। हमने कितनी बार सुना है कि किसी महिला को किसी पुरुष को डेट पर बुलाने के लिए जेल में डाल दिया गया? चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों न हो, आम तौर पर अगर वह किसी पुरुष को अकेला छोड़ देती है, तो उसे कुछ नहीं होता। यह चिंता का विषय है। अजय पटेल @ सरवन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, न्यायमूर्ति रंजना पंडया ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 363, 366–ए, 376(2) के तहत दोषी ठहराने के फैसले के खिलाफ अपील में फैसला करते हुए, मोहम्मद अली @ गुड्डू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में निर्धारित सिद्धांत का अवलोकन किया कि, ''यहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 376 आईपीसी के तहत मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी और इस अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा झेले गए आघात और विभिन्न अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की देरी के लिए बहुत अधिक छूट दी है, लेकिन वर्तमान मामले में एक महत्वपूर्ण कारक को अलग परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। अभियोक्ता घर से गायब थी। ऐसी स्थिति में, यह एक सामान्य अपेक्षा थी कि या तो माँ या भाई पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएँगे। ऐसा नहीं किया गया। पीडब्लू 2 की यह कार्रवाई वास्तव में सामान्य ज्ञान को एक बड़ी चुनौती देती है। इस तरह की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विद्वान ट्रायल जज ने अभियोक्ता द्वारा आघात और सामाजिक कलंक की बाध्यता से पीड़ित होने के सिद्धांत का हवाला देकर अस्वीकार्य पृष्ठभूमि पर इस पहलू को आगे बढ़ाया है। उस समय अभियोक्ता घटनास्थल पर कहीं नहीं थी। माँ को ही अपनी बड़ी बेटी के लापता होने की सूचना पुलिस को देनी थी। किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, यह संदेह की भावना को जन्म देता है।''

न्यायमूर्ति पंडया ने आगे कहा कि, ''वर्तमान अपील में, अभियोक्ता महिला को दो पहिया वाहन पर ले जाया गया, उसका मुंह खोला गया था। कोई भी उसे दबा नहीं रहा था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जब उसका मुंह खोला गया और आरोपी निहत्थे थे, तो पीड़िता ने शोर क्यों नहीं मचाया। जिरह में, इस गवाह ने आगे कहा है कि उसने मजिस्ट्रेट को बताया था कि घटना के अगले दिन रात 11:00 बजे, उसे उसके घर के पास छोड़ दिया गया था। उसने कहा है कि अगले दिन, आरोपी उसे उसके घर पर छोड़ गए। यदि यह वास्तविक स्थिति होती, तो कोई कारण नहीं था कि अगले दिन जब पीड़िता घर लौटी और उसने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी घटना सुनाई, तो लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार, जो ऊपर कहा गया है और चर्चा की गई है, मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि अभियोजन पक्ष का मामला झूठे आरोपों और असंभव तथ्यों का एक समूह है, जिसके कारण विद्वान ट्रायल कोर्ट ने खुद को गुमराह किया और आरोपी को गलत तरीके से दोषी ठहराया है, इस तरह की सजा कानून की नजर में बरकरार नहीं रह सकती है, इसलिए आरोपी को बरी किए जाने का हकदार है और अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2, वाराणसी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 21/2012 (राज्य बनाम अजय पटेल उर्फ सरवन) में दिनांक 23.09.2014 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश, जो मुकदमा अपराध संख्या 210/2011, धारा 363, 366ए, 376 आईपीसी, थाना रोहनिया, जिला वाराणसी से उत्पन्न हुआ था, को अपास्त किया जाता है।''

हम पुरुषों को किसी महिला के मनमौजी ध्यान आकर्षित करने वाले एजेंडे के अधीन करके महिलाओं को सशक्त नहीं बना रहे हैं। हम पूरे समाज को कमजोर कर रहे हैं। अगर हमारा समाज ईमानदार और सीधे, स्पष्ट संचार को नीची नज़र से देखता है, तो ऐसा ही हो। महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, जब कोई भी पुरुष की बात नहीं सुनता। एक महिला को बस इतना करना है कि वह फोन उठाए और पुलिस को बताए कि एक आदमी ने उसका उत्पीड़न किया है। और वह आदमी पहले ही खत्म हो चुका है। भले ही उसने कुछ भी न किया हो। ऐसे माहौल में, पुरुषों का जीवन, या कम से कम उनकी प्रतिष्ठा और उनके व्यवसाय को महिलाओं को दी गई अनुचित शक्ति द्वारा नष्ट किया जा रहा है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976.

वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य यह है कि पुरुष और महिला दोनों ही कामगारों को समान प्रकार के काम या समान प्रकृति के काम के लिए समान पारिश्रमिक मिले। अधिनियम का मानना है कि दोनों लिंगों के लिए समान पारिश्रमिक तभी संभव हो सकता है, जब महिलाओं के खिलाफ रोजगार में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। हालांकि यह अधिनियम 1976 से प्रभावी है, फिर भी यह महिला श्रमिकों द्वारा सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला कानून है। अधिनियम की धारा 5 नियोक्ता को समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए भर्ती के समय पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच भेदभाव करने से रोकती है। भर्ती के बाद भी, नियोक्ता समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए सेवा की शर्तों के संबंध में पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। महिलाओं को लाभ–कानूनों का बेड़ा।

भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांत विभिन्न लिंगों के बीच समानता की अवधारणा प्रदान करते हैं। यह संविधान है, जो राज्य को शक्ति देता है, ताकि वह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक रूप से भेदभाव कर सके। अधिनियमित कई कानून जो विशेष रूप से या आंशिक रूप से भारत में महिलाओं के लाभ और कल्याण के लिए प्रावधान करते हैं। ऐसे कई अन्य कानून भी हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए हैं और पुरुषों के संबंध में उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कई क्षेत्र हैं–

1. **भारत का संविधानः** अनुच्छेद 14, 15(जे), 15(3), 16(2), 23(1), 39(ए), 39(डी), 3(ई), 42, 46, 47, 51–ए(ई), 243–डी (3), 243–डी (4), 243–टी (3), 243–टी (4); तथा 73वां और 84वां संशोधन।
2. **भारतीय दंड संहिता, 1860ः** धारा 292 से 294, 304–बी, 312 से 318, 354, 354ए से 354–डी, 366, 366–ए, 376, 376ए से 376ई, 494, 497, 498–ए और 509
3. **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973ः** धारा 125
4. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872ः** धारा 113–ए, 113–बी और 114–ए
5. **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956ः** धारा 18 और 19
6. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
7. **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955ः** धारा 13, 13–बी और 24–26
8. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
9. विदेशी विवाह अधिनियम, 1969
10. बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929
11. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984
12. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1860
13. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
14. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
15. भारतीय तलाक अधिनियम, 1869
16. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
17. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
18. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937
19. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939
20. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
21. सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987
22. कारखाना अधिनियम, 1948
23. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
24. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

25. खान अधिनियम, 1952
26. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
27. बागान मजदूर अधिनियम, 1951
28. बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
29. विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923
30. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
31. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971
32. गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
33. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
34. महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986
35. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
36. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
37. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

संवैधानिक विशेषाधिकार

1. **अनुच्छेद 14**: महिलाएँ कानून के समक्ष समान हैं।

2. **अनुच्छेद 15(1)**: राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

3. **अनुच्छेद 15(3)**: राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में कोई विशेष प्रावधान करना होगा।

4. **अनुच्छेद 16** : राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी।

5. **अनुच्छेद 39(ए) और (डी)**: राज्य अपनी नीति को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा; और पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।

6. **अनुच्छेद 39ए**: राज्य समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा और उचित कानून या किसी योजना या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा।

7. **अनुच्छेद 42**: राज्य न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य की स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए कानून बनाएगा।

8. **अनुच्छेद 46**: राज्य कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा तथा उन्हें शोषण और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से बचाएगा।

9. **अनुच्छेद 47**: राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर और पोषण के स्तर को ऊपर उठाएगा।

10. अनुच्छेद 51(ए) (ई): भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देगा तथा महिलाओं की गरिमा के लिए लाभकारी नहीं होने वाली प्रथाओं को रोकेगा।

11. अनुच्छेद 243 डी(3): इस अनुच्छेद के अनुसार, ''प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएगी।''[6]

12. अनुच्छेद 243 डी(4): प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

13. अनुच्छेद 243 टी(3): अनुच्छेद के अनुसार, ''प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटें नगर पालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी।''[7]

14. अनुच्छेद 243 टी(4): अनुसूचित जातियों के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990–महिलाओं को उनकी शिकायतों के निवारण में सहायता देने के लिए भारत की संसद ने 30 अगस्त, 1990 को ''राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990'' पारित किया। भारत को अपना पहला राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी, 1992 को मिला। श्री जयंती पटनायक आयोग की अध्यक्ष थीं। अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. महिलाओं के कल्याण के लिए निर्णय लेने के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्य निर्दिष्ट समय और निर्दिष्ट स्थान पर बैठक कर सकते हैं।
2. अधिनियम के तहत आयोग के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं।
3. महिलाओं के मामले की जांच करना।
4. ऐसी जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट बनाना।
5. महिलाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा करना।
6. महिलाओं के कल्याण के लिए बेहतर नीतियों की सिफारिश करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
7. महिलाओं के मामलों से निपटने के दौरान इसे सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाली नीतियों के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना।

संदर्भ:

1. भारत का संविधान, वी.एन. शुक्ला, महेंद्र पी. सिंह द्वारा संशोधित।
2. समानता सिद्धांत, वैवाहिक बलात्कार और चौदहवें संशोधन का वादा, रॉबिन एल. वेस्ट।
3. भारत में महिलाओं का सशक्तीकरण संबद्ध कानून और उपयोगी परिशिष्टों के साथ, के.डी. गौर
4. लिंग, संविधान और न्यायालय–लिंग निर्धारण कानून में, एस.पी. सैटली।

5. संवैधानिक न्यायशास्त्र का लिंग, बेन्स बेवरली और रुबियो मारिन रथ।
6. प्रारंभिक भारतीय इतिहास में पठन–प्रारंभिक भारतीय समाजों में महिलाएँ, बी.डी. चट्टोपाध्याय।
7. भारत में महिलाओं की सामाजिक–कानूनी स्थिति, रमा मेहता।
8. भारत में महिलाएँ और समाज, नीरा देसाई और मैथवी कृष्णराज।